लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या– 03 / 01 /अति–4/ 2017–18
इलाहाबादः दिनांक 01 सितम्बर, 2018

प्रेस–विज्ञप्ति

स्टाफ नर्स (महिला) परीक्षा 2017 जो दिनांक 17 दिसम्बर 2017 को इलाहाबाद व लखनउ के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी गयी थी। प्रश्नगत परीक्षा में 23394 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे परन्तु मा0 आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की निर्धारित तिथि 16 मार्च 2018 तक मात्र 20408 अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत किये गये है। अतः 20408 अभ्यर्थियों पर परिणाम की कार्यवाही की गयी है। प्रश्नगत पद का चयन 100 अंकों का है जिसमें लिखित परीक्षा हेतु कुल 85 अंक निर्धारित है। अनुभव के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0 प्र0 में संविदा के आधार पर अधिकतम 15 अंक निर्धारित है। प्रश्नगत परीक्षा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0 प्र0 हेतु कुल 3628 पदों के सापेक्ष 1830 तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0 प्र0 हेतु कुल 753 पदों के सापेक्ष 558 अभ्यर्थियों का चयन औपबन्धिक रूप से किया गया है जिसे सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट **http://www.uppsc.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है। शेष पद उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनभरे रह गये है, जिन्हें मा0 आयोग द्वारा अग्रेनीत की जाने की संस्तुति की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक कमशः **40%** एवं **30%** धारित है वे सभी चयन सूची में सम्मिलित है। शेष कोई अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक धारित नही करते है।

3–प्रश्नगत परीक्षा का सम्पूर्ण परिणाम पूर्णतया औपबन्धिक है। अतः अभ्यर्थियो से यह अपेक्षित है कि वे वांछित मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अलग से जारी होने वाली विज्ञप्ति के बाद समयान्तर्गत अवश्य प्रस्तुत कर दें अन्यथा उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

4– प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/ पदवार कट आफ अंक की सूचनायें शीघ्र वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिये जायेगें तथा इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किये जायेगें और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)
सचिव।